पिता ने समझौते के बावजूद चार महीने तक बेटे को माँ से दूर रखा, यह न्यायालय की अवमानना है

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह शामिल थे, ने पी. गुप्ता बनाम एस. गुप्ता की याचिका में निर्णय दिया है कि माता-पिता के अलगाव के विवाद में बच्चे के हित को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बच्चे की अभिरक्षा को लेकर न्यायालय के समक्ष समझौता करने के बाद उसका पालन न करना अवमानना है।

याचिका के तथ्यों के अनुसार, पी. गुप्ता (पत्नी) और एस. गुप्ता (पति) विवाहित थे। दोनों के दो बच्चे हैं। बेटी की उम्र करीब 11 वर्ष और बेटे की उम्र करीब छह वर्ष है।

पति ने धौलपुर, राजस्थान के फैमिली कोर्ट में प्रकरण दायर किया था। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाकर मामला धौलपुर से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।

इसी दौरान दोनों के बीच मध्यस्थता हुई और 13 नवंबर 2025 को समझौता हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को उस समझौते को रिकॉर्ड कर लिया।

समझौते के अनुसार, दोनों बच्चे मां के पास रहेंगे। पिता बच्चों को साल में केवल दो बार, चार-चार दिन के लिए धौलपुर स्थित अपने माता-पिता के घर ले जा सकता है। पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 8,000 रुपये देगा। मां ने कोई भरण-पोषण नहीं मांगा।

समझौते के बाद मां का आरोप है कि

बच्चे का हित सर्वोच्च प्राथमिकता



जी. के. छिब्बर

22 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:57 बजे पिता दिल्ली में बेटे के स्कूल पहुंचा। मिलने के बहाने बेटे को अपने साथ ले गया और फिर वापस नहीं किया। करीब चार महीने तक बेटा पिता के पास ही रहा।

मां ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मां ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। पिता ने अपने जवाब में इस बात से इनकार नहीं किया कि बच्चा उसके पास है। उसने कहा कि बच्चा स्वयं उसके साथ रहना चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे से खुद बात की: पीठ ने 3 नवंबर 2026 को चैंबर में बच्चे से अलग से बातचीत की। माता-पिता से भी अलग-अलग बात की।

पीठ ने पाया कि, 'बच्चे का दिमाग उसकी मां और बहन के खिलाफ बुरी तरह से पढ़ाया गया लगता है। बच्चा मां के पास जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और न ही उससे बात करना चाहता है।'

'पिता की तरफ से बच्चे के दिमाग में मां और बहन के खिलाफ जहर भरने का जानबूझकर प्रयास लगता है।'

पीठ ने पिता के बारे में एक और गंभीर टिप्पणी की,

'उससे बातचीत और उसके हाव-भाव से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वह नशे के स्पष्ट लक्षण दिखा रहा है।'

पीठ ने कहा कि पिता ने प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से अवमानना की है, लेकिन,

'बच्चे को अचानक मां के पास भेजना असुरक्षित होगा। इससे बच्चे के मन पर स्थायी मानसिक चोट लग सकती है।'

इसलिए पीठ ने तत्काल अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं की।

1. धौलपुर फैमिली कोर्ट एक बाल काउंसलर नियुक्त करेगा।
2. काउंसलिंग सप्ताह में दो बार, कोर्ट परिसर में बिना किसी दबाव वाले स्थान पर होगी।
3. इसका उद्देश्य बच्चे का मां और बहन पर भरोसा फिर से कायम करना होगा।
4. पिता को बच्चे को काउंसलिंग के लिए लाना अनिवार्य होगा। वह इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
5. काउंसलर की फीस पिता देगा।
6. मां चाहे तो काउंसलर की अनुमति से सत्र में शामिल हो सकती है।
7. तब तक बच्चा धौलपुर में ही रहेगा।

रिपोर्ट

काउंसलर की रिपोर्ट 22 जनवरी 2027 को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। उस दिन माता-पिता और बच्चे, सभी को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। दोपहर एक बजे चैंबर में सुनवाई होगी।

यदि बच्चा इससे पहले ही मां के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो रिपोर्ट पहले भी प्रस्तुत की जा सकती है।

इस फैसले से क्या सीख मिलती है ?

1. **समझौता मजाक नहीं है :** कोर्ट में दर्ज समझौता कानूनन बाध्यकारी होता है। मिलने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले जाकर वापस न करना अवमानना है।
2. **बच्चे की इच्छा ही सब कुछ नहीं :** यदि बच्चे को एक माता-पिता के खिलाफ भड़काया गया है, तो कोर्ट उसकी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा।
3. **बच्चे का हित सबसे ऊपर :** सजा से ज्यादा जरूरी बच्चे का मन है। इसीलिए कोर्ट ने सजा देने की बजाय काउंसलिंग का रास्ता चुना।
4. **पैरेंटल एलियनेशन को कोर्ट ने माना :** एक माता-पिता द्वारा दूसरे के खिलाफ बच्चे के मन में जहर भरना पैरेंटल एलियनेशन कहलाता है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।

भोपाल उत्सव मेले में समाजसेवी सुनील गर्ग सम्मानित



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः टीटी नगर के दशहरा मैदान में आयोजित भोपाल उत्सव मेले के उद्घाटन समारोह में समाजसेवी एवं समग्र अग्रवाल समाज के मुख्य संयोजक सुनील गर्ग को जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में, संस्था के सदस्यों के बीच सुनील गर्ग को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर समग्र अग्रवाल समाज की ओर से होरीलाल गर्ग, मंजू गुप्ता, मधुर अग्रवाल एवं शरद अग्रवाल उपस्थित रहे। सुनील गर्ग ने यह सम्मान समाजसेवा में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि समाजहित के प्रत्येक कार्य में अनेक लोगों का सहयोग और समर्पण जुड़ा रहता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित शोभायात्रा में भी सुनील गर्ग ने मुख्य संयोजक की भूमिका निभाई थी। शोभायात्रा में समाज के 18 गोत्रों का प्रतिनिधित्व और परिवारों की सामूहिक भागीदारी विशेष आकर्षण रही।

कार्यालय संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नेहरु नगर, भोपाल में स्थित प्रकोष्ठ भवन क्र. जूनियर एम.आई.जी. 135/डी (प्रथम तल) मंडल द्वारा श्री सुरेश नारायण राव मजुमदार आत्मज श्री एन.के. मजुमदार के नाम से आवंटित है, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 05/11/1996 को पंजीकृत है। श्री सुरेश नारायण राव मजुमदार आत्मज श्री एन.के. मजुमदार से उक्त संपत्ति श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह पत्नि श्री सुरेश सिंह ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 29/10/2005 को अपने पक्ष में करा लिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तवेज प्रस्तुत करते हुये उक्त संपत्ति श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह पत्नि श्री सुरेश सिंह के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह नि. एवं अधो, वि.म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

5001

कार्यालय संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नेहरु नगर, भोपाल में स्थित शेड क्र. एस/1100 मंडल द्वारा श्रीमती गीता सिंह रघुवंशी पत्नि श्री गोविन्द सिंह रघुवंशी के नाम से आवंटित है, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 29/11/2017 को पंजीकृत है एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 22/01/2020 को पंजीकृत है। श्रीमती गीता सिंह रघुवंशी पत्नि श्री गोविन्द सिंह रघुवंशी से उक्त संपत्ति श्री महेंद्र खडसे एवं श्रीमती रेखा खडसे ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 22/02/2020 को अपने पक्ष में करा लिया है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त संपत्ति श्री महेंद्र खडसे एवं श्रीमती रेखा खडसे के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। करे। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह नि. एवं अधो, वि.म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

5002

कार्यालय संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नेहरु नगर, भोपाल में स्थित शेड क्र. एस/1099 मंडल द्वारा श्री हरीश पासी आत्मज श्री राम प्रसाद के नाम से नामांतरित है, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 05/04/2018 को पंजीकृत है। श्री हरीश पासी आत्मज श्री राम प्रसाद से उक्त संपत्ति श्री महेंद्र खडसे एवं श्रीमती रेखा खडसे ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 11/07/2023 को अपने पक्ष में करा लिया है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तवेज प्रस्तुत करते हुये उक्त संपत्ति श्री महेंद्र खडसे एवं श्रीमती रेखा खडसे के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह नि. एवं अधो, वि.म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

5003

क्षेत्रों में चार से सात घंटे तक बंद रहेगी बिजली

राजधानी के 40 इलाकों में आज बिजली कटौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के करीब 40 इलाकों में बुधवार को बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव कार्य किए जाने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में चार से सात घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे हर्षवर्धन नगर, शाहपुरा, बसंतकुंज, न्यू मिनाल, फतेहगढ़, अमलतास कॉलोनी और रतनपुर सड़क सहित कई क्षेत्रों के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि बिजली से जुड़े जरूरी काम कटौती शुरू होने से पहले ही निपटा लें।

बिजली कंपनी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे



तक एजी कॉलोनी, पीएंडटी कॉलोनी, संजय कॉम्प्लेक्स, कर्मचारी भवन, सीआई होम्स, हर्षवर्धन नगर, मनीषा मार्केट, शाहपुरा ए सेक्टर, ई-7 अशोका सोसायटी, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रीयल कॉलोनी, विवेक अपार्टमेंट, अमलतास और बसंतकुंज सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

वहीं, पिपलिया केशो, गुराड़ी घाट, रतनपुर सड़क और नरेला हनुमंत क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी समयावधि में फतेहगढ़, सदर मंजिल, ओल्ड गेट, इमामी गेट चौराहा, टीला रोड और जीएडी चौराहा सहित आसपास के इलाकों में भी बिजली नहीं रहेगी।

न्यू मिनाल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कटौती होगी। इसके अलावा अंशुल विहार, वंदना होम्स, विंडसर अर्रालिया, एलिजेंट, सुरक्षा एन्क्लेव, विंडसर पाम, इनायतपुर पंप हाउस, वाटिका हेरिटेज, ईशान विष्ट कॉलोनी और साईं सिद्धि कॉलोनी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

सूडोकु नवताल- 7970

सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

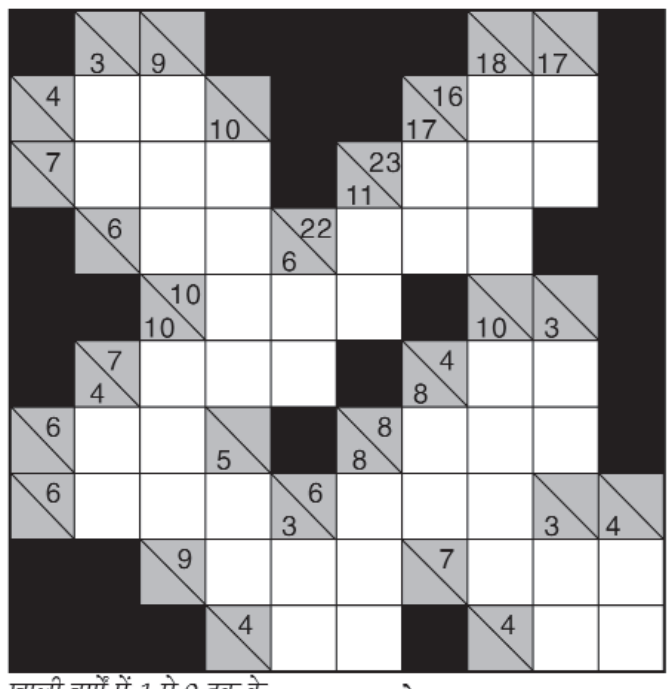
Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -7969 का हल

8	2	4	3	9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

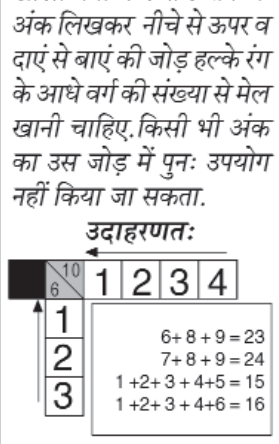
- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

काकुरो पहेली - 7643

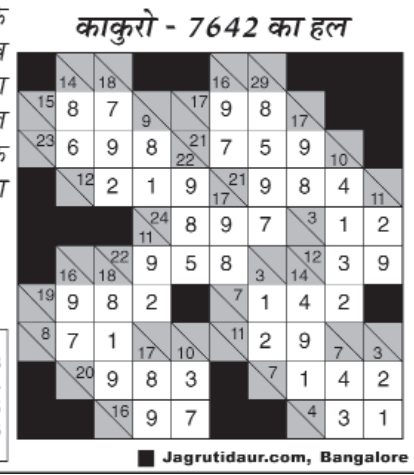


खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए. किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणतः

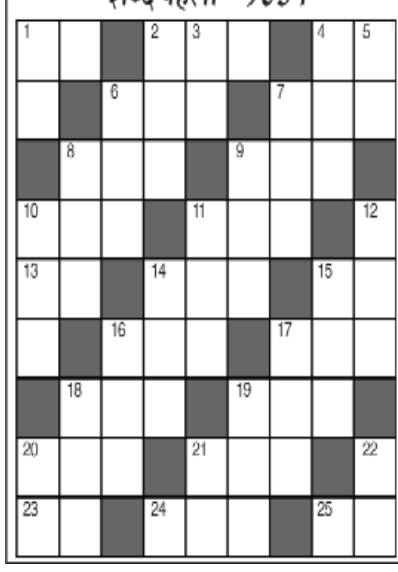


काकुरो - 7642 का हल



Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 9051



बाएँ से दाएँ

1. प्राणेंद्रिय-2
2. लंबी गर्दन वाला पशु-3
4. आफत, मुसीबत-2
6. लाचार-3
7. आसरा, मदद-3
8. आश्रय, शरण-3
9. राज कपूर की पोती-3
10. कर्म, भाग्य-3
11. दासत्व, गुलामी-3
13. आर्टिकल-2
14. इच्छा, लालसा-3
15. दुगना, दोगुना-2
16. गार-3
17. देसू के फूल-3
18. राजा का भवन-3
19. चौकसी-2
20. प्रेमी, साजन-3
21. कैनाल, अमादी-3
23. जीवन सत्व, प्राण-2
24. प्रहार, आक्रमण-3
25. ठाठ-बाट-2

ऊपर से नीचे

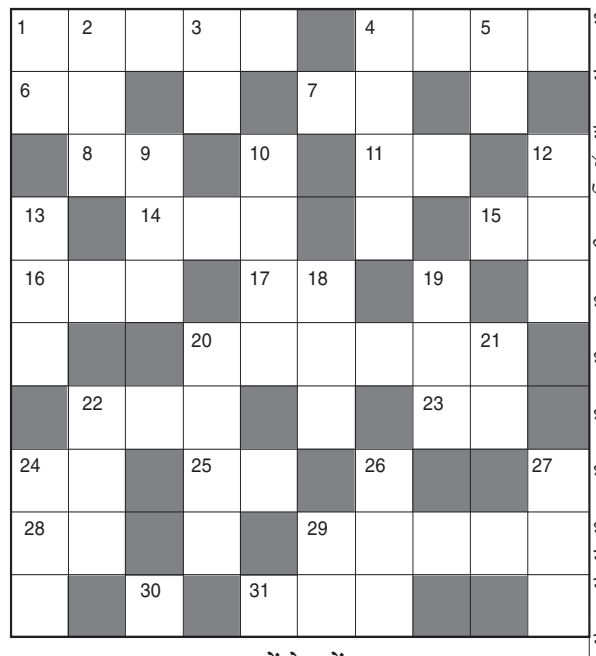
1. अभिमान-2
2. मारना, वध करना-2
3. नृत्य, कृष्णलीला-2
4. अपव्यय करना-3
5. वेस्टइंडीज का कप्तान-2
6. अज्ञात, अनाम-3
7. नदी, दरिया-3
8. जांच, परीक्षण-3
9. परीक्षा करना-3
10. जिगर-3
11. आंचल-3
12. नाश, विध्वंस-3
14. अंजन, नेत्रांजन-3
15. लाडला-3
16. शक, संदेह-3
17. तीन घंटे का समय-3
18. चिंतन-3
19. प्रथम-3
20. दंड, शिक्षा-2
21. आंशिक भीगा हुआ-2
22. प्राण, जीवन तत्व-2

शब्द पहेली -9050 का हल



Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7482



ऊपर से नीचेः-

१. 'नदिया किनारे आआ' गीत वाली संजय दत्त, आफताब, नंदिता की फिल्म-२
२. ऋषिकपूर, माधुरी दीक्षित की 'जाने वो कैसा चोर था' गीत वाली फिल्म-३
३. 'आजकल पाँव जमीं पर' गीत वाली फिल्म-२
४. अक्षय, करीना कपूर, प्रियंका की फिल्म-४
५. 'दिल दिया है तुझे' गीत वाली अतीन भल्ला, संदली सिन्हा की फिल्म-२
९. राहुल बोस, करीना कपूर की 'जाने क्यूं हमको' गीत वाली फिल्म-३
१०. राजकपूर, परवीन की 'आपसा कोई हसीन' गीत वाली फिल्म-२,२
१२. 'तोता मैना की कहानी' गीत वाली शशिकपूर, शबाना की फिल्म-३
१३. मिलिंद सोमण, किरण झवेर की 'जीना है तेरी' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'सुलगे हुए हैं' गीत वाली जिमी, इरफान, ऋषिता, नम्रता की फिल्म-३
१९. फिल्म 'अवतार' में राजेश की नायिका ?-३
२०. 'नहीं ये हो नहीं सकता' गीत वाली फिल्म-४
२१. अमिताभ, जैकी, कैटरीना, मधु, सीमा की 'आई सी यू बेबी' गीत वाली फिल्म-२
२२. 'रंग और नूर की बारात' गीत वाली सुनीलदत्त, मीना कुमारी की फिल्म-३
२४. नसीर, फारूख शेख, स्मिता की फिल्म-३
२६. 'बोल गोरी बोल' गीत वाली सुनीलदत्त, नूतन की फिल्म-३
२७. शाहरूख, माधुरी की 'तू सामने जब आता है' गीत वाली फिल्म-३
२९. 'हम प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-२

बायें से दायेंः-

१. अमिताभ, जया की 'ये जुल्फ कैसी है' गीत वाली फिल्म-२,१,२
४. 'सीमायें बुलाये तुझे' गीत वाली जे.पी.दत्ता की युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक मल्टीस्टार फिल्म-२,१,१
६. फिल्म 'साया' में नायिका कौन थी-२
७. 'झमका चाँदी दा' गीत वाली मनोज, अरशद, तब्बू, शीबा की फिल्म-२
८. अभिषेक, अंतरा माली की 'बेरंग जिंदगी' गीत वाली फिल्म-२
११. फिल्म 'जीवनमृत्यु' में नायिका थी-२
१४. 'तुम तो परदेसी हो' गीत वाली फराजखान, रानी मुखर्जी की फिल्म-३
१५. अमिताभ, अजय, अक्षय, ऐश्वर्या की 'दिल डूबा' गीत वाली फिल्म-२
१६. 'आज मदहोश हुआ जाये' गीत वाली शशिकपूर, राखी की फिल्म-३
१७. संजय कपूर, रवीना, अदिति की 'हंसता है रूलता' गीत वाली फिल्म-२
२०. 'सनन सनन साय साय हो' गीत वाली गोविंदा, रमैया की फिल्म-४,२
२२. सनी देओल, अमीषा पटेल की 'घर आजा परदेसी' गीत वाली फिल्म-३
२३. 'तू कल चला' गीत वाली संजयदत्त, कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों की फिल्म-२
२४. जैकी, सुनील शेट्टी, डिनो, करिश्मा की 'ऐ सुबह तू' गीत वाली फिल्म-२
२५. 'हुस्ने जाना इधर आ' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-२
२८. देवआनंद, गीता बाली की 'चांदनी रातें प्यार की' गीत वाली फिल्म-२
२९. 'जिनके पास हाथी घोड़ा' गीत वाली राजकुमार, लीना की फिल्म-२,१,२
३०. जीतेंद्र, जयाप्रदा की 'आईने के सौ टुकड़े' गीत वाली फिल्म-१
३१. 'लड़की जो आए बाजार में' गीत वाली जैकी श्रॉफ, मनीषा की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7481

जु	दा	ई		उ	त्स	व		जं	ग
मं		मा	सु	म		क्त		ग	
	आ	न		ग	नी		दि	ल	से
भा	ई		दे	व		शू	ल		व
	ना			जा	ल		ज	ब	क
भ		श	गु	न		द	ला	ल	
रो	टी		स		दो	स्त		मा	या
सा		जो		आ		क	र्ज		ग
	स	र	फ	रे	श			ना	ना
ह	त्या			प		सं	ग	म	

Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग - 7576

1		5		3		2
	32	7	32		30	
3		4	6			7
	22		37	7	39	
4		2			1	5
	34		34	5	28	
7		6	3		2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 7575 का हल

2	3	4	5	6	7	1
6	28	1	36	2	30	4
3	4	5	6	7	1	2
7	36	2	37	3	25	6
4	5	6	7	1	2	3
5	33	7	37	4	33	5
1	2	3	4	5	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

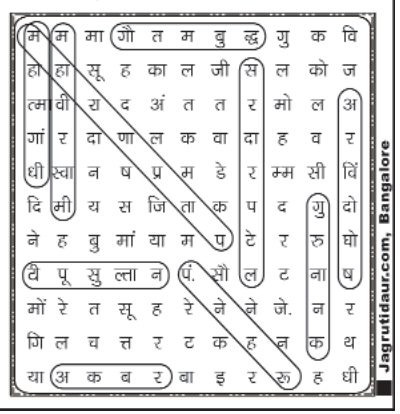
शब्दजाल - 8596

अ	चि	न्ना	स्वा	मी	शि	ज	ब	न	र	ट
दा	रा	यू	न	आ	वा	ग्री	द	इ	ह	फि
वा	व	ना	पू	ने	जी	थ	न	ग	क	रो
न	ची	न	ते	श	ज	का	म	पा	त	ज
खे	त	ई	ड	न	गा	र्ड	न	ग	र्क	शा
ड़े	अ	म	सु	ल	अ	पू	न	मो	र	ह
ती	जं	सी	मे	ता	प	नु	श	हा	ज	को
क	ल	ग	रि	वि	ल	नी	प	ली	न	ट
ब्रे	बो	र्न		य	या	चि	क	री	म	प	ला
ज	ग	त	न	ज	ज	त्र	ठे	जी	र्य	त
बे	बौ	लो	नि	या	ल	ज	र	रा	त	थ

शब्दजाल में 10 'खेल स्टेडियम' के नाम ढूंढिए. शब्द ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं एवं तिरछे हो सकते हैं

ईडन गार्डन, शिवाजी, वानखेड़े, ग्रीनपार्क, फिरोजशाह कोटला, चिन्नास्वामी, मोहाली, नेशनल, ब्रेबोर्न, तालकटोरा

शब्दजाल - 8595 का हल



Jagrutidaur.com, Bangalore